तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/257/2016/जयपुर** **हीरा देवी बनाम दाखा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री हरिनारायण, अभिभाषक प्रार्थीगण।

श्री संजय शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29–12–2023

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाढ़मोहनपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 84 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.28 हेक्टेयर, खसरा नंबर 92 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नंबर 94 रकबा 1.08 हेक्टेयर, खसरा नंबर 96 रकबा 0.65 हेक्टेयर, खसरा नंबर 97 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 98 रकबा 0.45 हेक्टेयर, खसरा नंबर 103 रकबा 1.08 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 1.30 कुल किता 11 कुल रकबा 5.23 हेक्टेयर भूमि के 1/2 हिस्से की वसीयत निगरानीकर्ताओं की बजाय उनकी पुत्रवधुओं को कर दी। उक्त विवादित आराजीयात बाबत् एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर–प्रथम, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। निगरानीकर्ताओं ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी एवं आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी, का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 14–12–2015 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 की अवहेलना करने वालों के पक्ष में आदेश पारित किया गया है एवं पैतृक सम्पत्ति के लिए जो दस्तावेज हैं, उनको रेकार्ड में नहीं लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/257/2016/जयपुर** **हीरा देवी बनाम दाखा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का जवाब न लेकर आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14–12–2015 निरस्त किया जावे। 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एंव रिकार्ड के अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के मध्यनजर रख पारित किया है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह निगरानी मात्र प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायलय को प्रकरण की शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये जावे। अतः यह निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने अभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध सहायक जिलाधीश, जयपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत दिनांक 24–2–2007 को प्रस्तुत किया, जिसका जबावदावा भी प्रस्तुत किया जाकर तनकियात कायम की जा चुकी है । तनकियात कायम होने के बाद दिनांक 1–2–2011 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी, क्षेत्रफल तुलनात्मक एवं आदेश 7 नियम 14(3) के तहत अन्य पिछडी जाति का प्रमाण–पत्र को दावे में रेकार्ड पर लिए जाने हेतु निवेदन किया। उक्त सभी दस्तावेज दावे से पूर्व के हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दावे के समय उसके पास नहीं थे। किन्तु उसके द्वारा दावे के 4 वर्ष बाद उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो विश्वसनीय नहीं है न ही ऐसा कोई कारण उल्लेखित किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि ये दस्तावेज उसके पास वाद दायर करते समय उपलब्ध नहीं थे या कब्जे में नहीं थे। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को निर्णय में बाधित होना नहीं मानकर प्रार्थना–पत्र खारिज किए हैं, जिसमें निगरानी के स्तर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विहित क्षेत्राधिकार में पारित आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि/अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/257/2016/जयपुर** **हीरा देवी बनाम दाखा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

"230- Power of the Board to call for cases- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit."

उक्त धारा में यह भी प्रावधित किया है कि जब निचले न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की जाती है तो पुनरीक्षण होता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण पक्षकार का अधिकार नहीं है, यह न्यायालय का विवेकाधिकार है। इसमें केवल यही देखना होता है कि निचले न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में त्रुटियां की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है, जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8— उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर (प्रथम) को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का दो माह में निस्तारण करे। उभय पक्षकारान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30—1—2024 को उपस्थित हो।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य